महत्वपूर्ण एवं खास

विशाखापट्टनम से किरंदुल आ रही पैसेंजर को नक्सलियों ने बनाया निशाना, कोई हताहत नहीं

किरंदुल (आरएनएस)। विशाखापट्टनम से किरंदुल आ रही यात्री ट्रेन नेरली ब्रिज के पास बेपटरी हो गई। सूत्रों की माने तो ट्रेन में 30 से 32 यात्री सवार थे। हालांकि यात्रियों को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है। सभी सकुशल है। फिलहाल घटना की सूचना मिलने से मौके पर पहुंची सुरक्षा बल की टीम राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक घटना बचेली थाना क्षेत्र की है, जहां विशाखापट्टनम से किरंदुल आ रही यात्री ट्रेन शुक्रवार शाम डिरेल हो गई। इस घटना को नक्सलियों ने अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि मौके से नक्सल पर्चे भी बरामद किए गए हैं। ट्रेन में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं।

माओवादियों ने की अपहृत एसआई की हत्या, तीन दिनों पूर्व किया था अपहरण

बीजापुर (आरएनएस)। जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र के पालनार से माओवादियों द्वारा बस्तर जिले में पदस्थ एसआई मुरली ताती का अपहरण कर लिया था । तीन दिनों बाद माओवादियों ने अपहृत एसआई की हत्या कर शव को सड़क पर फेंक दिया है । गंगालूर के पालनार से 21 अप्रेल को एसआई मुरली ताती का माओवादियो द्वारा अपहरण कर लिया था, अपहरण के बाद माओवादी तीन दिनों तक अपने साथ घुमाते रहे, अंत मे जनअदालत लगा कर जवान की हत्या कर दिया गया है । शव के पास माओवादी पर्चा फेंका गया है जिसमे एसआई पर माओवादियों द्वारा 2006 से अब तक डीआरजी में रहकर एड्समेटा, पालनार, मुघवेंडी जैसे गांवों में हमला कर निर्दोष ग्रामीणों की हत्या करना, माओवादी पीएलजीए कार्यकर्ताओं को फर्जी मुठभेड़ में मरना, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करना जैसे आरोप लगाया है । वहीं पर्चे में डीआरजी के जवानों को मुरली ताती जैसे काम नही करने की बात भी लिखा गया है । एसआई ताती की हत्या कर शव को पुलसुम पारा के पास सड़क में समान सहित फेंक दिया है ।

स्थाई वारंटी एक नक्सली मिलिशिया सदस्य गिरफ्तार

बीजापुर (आरएनएस)। जिले में चलाये जा रहे नक्सली उन्मूलन अभियान के दौरान जिला बल व सीआरपीएफ 165 वाहिनी की संयुक्त कार्यवाही में पातरपारा और बोदली के बीच के जंगल से एक नक्सली बोदा उर्फ बोड्डु पूनेम पिता बुधराम पूनेम 30 वर्ष निवासी बोदली थाना नेलसनार जिला बीजापुर मिलिशिया सदस्य को गिरफ्तार किया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार नक्सली बोदा उर्फ बोड्डु आरोपी 07 मार्च 2016 को फुण्डरी शिव मंदिर के पास पुलिस पार्टी पर बम विस्फोट करने की घटना में शामिल था। इस घटना में एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया था। गिरफ्तार नक्सली के विरूद्ध थाना भैरमगढ़ में स्थाई वारंट लंबित है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेशकर आज जेल दाखिल कर दिया गया है।

कमालूर रेल्वे स्टेशन में नक्सलियों ने टांगे बैनर

दंतेवाड़ा (आरएनएस)। जिला मुख्यालय से महज 14 किमी दूर स्थित कमालूर रेल्वे स्टेशन में नक्सलियों के भैरमगढ़ एरिया कमेटी के हवाले से जारी बैनर में 26 अप्रैल को भारत बंद का ऐलान किया गया है। नक्सलियों ने फेसबुक, ट्विटर, गूगल समेत अन्य सोशल मीडिया साइट्स को बढ़ावा देने का आरोप केंद्र सरकार पर मढ़ा। रेल्वे स्टेशन में दिन दहाड़े तीर-धनुष धारी नक्सलियों द्वारा रेल्वे स्टेशन पर बैनर बांधने से रेल्वे कर्मी काफी दहशत में हैं। जबकि हाल ही में दंतेवाड़ा प्रवास पर आए मुख्यमंत्री ने कमालूर में नया थाना खोलने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक यहां थाना नहीं खेला गया है। इससे पहले भी नक्सली कमालूर रेल्वे स्टेशन में उत्पात मचा चुके हैं।

राज्य में हवाई मार्ग, रेल अथवा सड़क मार्ग से आने वाले सभी यात्रियों को 72 घंटे के भीतर की कोविड निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा जरूरी

» छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड से जुड़े नए निर्देश किए जारी

» रिपोर्ट नेगेटिव होने पर एसओपी अनुसार होम क्वारेंटीन की अनिवार्यता

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड से जुड़े नए निर्देश जारी किए हे। इस सम्बंध में छत्तीसगढ़ के समस्त संभाग कमिश्नरों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को नोवेल कोरोना वायरस के नये वेरियन्ट के संक्रमण पर नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में

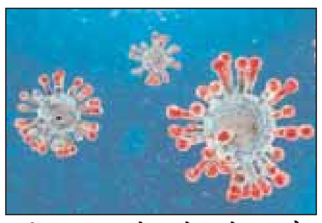

छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए कोविड टेस्ट जांच के संबंध में दिशानिर्देश जारी किये गए है।

जारी दिशानिर्देशों में उल्लेखित है कि राज्य में हवाई मार्ग, रेल अथवा सड़क मार्ग से आने वाले सभी यात्रियों की 72 घंटे के भीतर की कोविड निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट निगेटिव होने पर छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे यात्री जिनकी निगेटिव कोविड रिपोर्ट है और कोविड-19 के लक्षण नहीं है, उन्हे स्वास्थ्य विभाग के एसओपी अनुसार होम क्वारेंटीन होने के निर्देश दिया जाए।

ऐसे यात्री जिनके पास निगेटिव कोविड रिपोर्ट है और उन्हें कोविड-19 के लक्षण है, ऐसे सभी व्यक्तियों की पुनः कोविड-19 जांच की जाए। जांच में पॉजिटिव पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग के एसओपी अनुसार ईलाज हेतु कार्यवाही की जाए। कोविड लक्षण वाले परंतु जांच में निगेटिव यात्रियों को चिकित्सीय सलाह अनुसार उपचार दिया जाए तथा सलाह अनुसार आयसोलेट/क्वारेंटीन किया जाए। ऐसे सभी व्यक्ति जिनके पास कोविड निगेटिव रिपोर्ट नहीं है, उनके एयरपोर्ट,

रेलवे स्टेशन एवं सीमावर्ती राज्य से आने वाले सड़क मार्ग पर ही सीमा पर स्थित बैरियर/चौकी में टेस्टिंग किओस्क बनाकर स्वास्थ्य परीक्षण सहित आवश्यक कोविड जांच की व्यवस्था की जाए। जांच का व्यय यात्री द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

कोविड-19 जांच उपरान्त पॉजीटिव पाये गये व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार होमआईसोलेशन/कोविड केयर सेंटर/ डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में उपचार हेतु तत्काल भेजा जाए। कोविड लक्षण वाले परंतु जांच में निगेटिव यात्रियों को चिकित्सीय सलाह अनुसार उपचार दिया जाए तथा स्वास्थ्य विभाग के एसओपी अनुसार आयसोलेट/क्वारेंटीन किया जाए। अन्य राज्य के निवासियों को जिन्हें क्वारेंटीन किया जाना हो, उनके लिए व्यय यात्रियों को स्वयं वहन किया जाना होगा। उपरोक्तानुसार कोविड जांच की व्यवस्था हेतु रैपिड एण्टीजन जांच के लिए निजी क्षेत्र के पैथोलैब को भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. जारी दिशा-निर्देश के अनुरूप तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित दरों पर जांच की अनुमति दी जाए। तदनुसार टेस्टिंग किओस्क स्थापित किया जाए। ऐसे सभी व्यक्ति जिनके पास कोविड निगेटिव रिपोर्ट नहीं है एवं टेस्टिंग किओस्क सकरिंग उपरान्त उनमें कोविड-19 का कोई लक्षण नहीं पाए गए, उन्हें स्वास्थ्य विभाग के एसओपी अनुसार संस्थागत क्वारेंटीन किया जाए। इस हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं शहरी क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा यात्रियों को क्वारेंटीन (पेड/फ्री) किए जाने हेतु पूर्व में जारी दिशा-निर्देश के अनुसार व्यवस्था की जाए। छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए क्वारेंटीन व्यवस्था पूर्व निर्देशानुसार एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन एवं सीमावर्ती राज्य से आने वाले सड़क मार्ग के जांचकेन्द्रों में कोविड अनुरूप व्यवहार जैसे- मास्क लगाना, दो गज की दूरी, हैंड हाईजीन इत्यादि का पालन किया जाए।

राजधानी में लॉकडाउन बढ़ा, अब 6 मई की सुबह 6 बजे तक रहेगा, समस्त शराब दुकानें भी बंद रहेंगी

» थोक, फुटकर व ग्रॉसरी की दुकानें बंद रहेंगी

» आवश्यक वस्तुओं, मॉल की आपूर्ति सुनिश्चित करने गोडाउन में लोडिंग-अनलोडिंग के लिए रात्रि 11 बजे से तड़के 4 बजे तक छूट

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले व मौतों को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में लॉकडाउन को 26 अप्रैल से आगे बढ़ाकर 6 मई को सुबह 6 बजे तक कर दिया है। इस दौरान थोक, फुटकर व ग्रॉसरी की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। हालांकि आवश्यक वस्तुओं, मॉल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गोडाउन में लोडिंग-अनलोडिंग के लिए रात्रि 11 बजे से तड़के 4 बजे तक छूट दी गई है।

लॉकडाउन के दौरान फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री, ग्रॉसरी की होम डिलीवरी प्रातः 06 बजे से दोपहर 02 बजे तक केवल स्ट्रीट वेण्डर्स, ठेले वालों, पिकअप वाहनें, मिनी ट्रक एवं अन्य उपयुक्त छोटे वाहनों के माध्यम से की जा सकेगी। इस दौरान शराब की दुकानें भी यथावत बंद रहेगी। इसके अलावा पूर्व लॉकडाउन के नियमों का भी पूर्ण रूप से पालन करना होगा।

रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में अपग्रेड करने का किया अनुरोधः सीएम बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

» कार्गो हब की उपलब्धता से राज्य के विकास की क्षमता को मिलेगी और अधिक मजबूती

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में अपग्रेड करने का अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है कि कोविड महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद छत्तीसगढ़ देश के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में से

एक रहा है।औद्योगिक मोर्चे पर राज्य के समृद्ध खनिज संसाधनों पर आधारित लोहा और इस्पात, सीमेंट, विद्युत और अन्य कोर क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद छत्तीसगढ़ विकास की और अधिक बेहतर संभावनाओं के लिए तैयार है। पत्र में उल्लेखित है कि रायपुर में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के 2012 में नए टर्मिनल की कमीशनिंग के कुछ ही वर्षों के बाद स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को दो बार गैर-मेट्रो श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता प्रदान की गई। हमें दृढ़ विश्वास है कि रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में अपग्रेड करने और कार्गो हब की उपलब्धता से राज्य के विकास की क्षमता को और अधिक मजबूती मिलेगी। साथ ही इससे छत्तीसगढ़ राज्य को देश के केंद्रस्थल में स्थित होने का बेहतर लाभ भी प्राप्त हो सकेगा। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पत्र में उल्लेख किया है कि हम 'नया रायपुर' को इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी / आईटीईएस और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए आदर्श निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित किये जाने को बढ़ावा दे रहे हैं । अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस इको-सिस्टम का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। अंतरराष्ट्रीय उद्यमियों और निवेशकों के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के माध्यम से निवेश की गति को प्रोत्साहन मिलेगा।

निजी व सरकारी अस्पतालों को रेमडेसिविर इंजेक्शन के स्टाक और उपयोग की जानकारी प्रतिदिन देनी होगी

» मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी करेंगे निरीक्षण

रायपुर (आरएनएस)। स्वास्थ्य विभाग ने निजी कोविड अस्पतालों और शासकीय कोविड अस्पतालों ,कोविड केयर सेंटर आदि में रेमडीसीविर इंजेक्शन के उपयोग और रिकार्ड रखने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। संचालक स्वास्थ्य सेवाएं नीरज बंसोड़ द्वारा इस संबंध में 23अप्रैल को निर्देष जारी किए गए हैं। मुख्य स्वास्थ्य एव चिकित्सा अधिकारियों को इस संबधं में औचक निरीक्षण करने भी कहा गया है।

निर्देश मे कहा गया है कि राज्य शासन के ध्यान में आया है कि विगत कुछ दिनों से राज्य में कोविड19 से संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग में बढ़ोत्तरी हुई है। इन परिस्थितियों को देखते हुए छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डीजिस कोविड 19 रेगुलेशन 2020 एवं महामारी अधिनियम 1897 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन रेमडेसिविर इंजेक्शन के उपयोग एवं रिकार्ड संधारण के संबंध में दिशा निर्देश प्रसारित किए गए हैं। रेमडेसिविर का उपयोग स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी टीटमेंट प्रोटोकाल और आई सी एम आर द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार किया जाए। अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों हेतु रेमडेसिविर लगाने की आवश्यकता का असेसमेंट अस्पताल में कार्यरत मेडिसीन विशेषज्ञ, पलमोनोलाजिस्ट, इंटेसिविस्ट अथवा अधिकृत चिकित्सक द्वारा किया जाएगा और इनके अनुमोदन के बाद ही इसे कोविड मरीजों को लगाया जाए। निर्देश में कहा गया है कि अस्पताल में रेमडेसिविर का स्टाक समाप्त होने पर मरीज के परिजनों को बाहर से व्यवस्था करने के लिए कहा जा रहा है। अस्पताल में रेमडेसिविर का स्टाक खत्म होने के पूर्व ही खाद्य और औषधि प्रषासन /जिला प्रशासन से समन्वय कर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें। अस्पतालों की ओ पी डी में रेमडेसिविर लगाना प्रोटोकाल के विरूद्ध. है। रेमडेसिविर के उपलब्ध स्टाक की एन्ट्री ,खाली वायल ,किसको लगाया गया इसकी समीक्षा और निरीक्षण जिला प्रशासन और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा। अस्पतालों द्वारा प्रतिदिन रेमडेसिविर के उपलब्ध स्टाक,खपत और मांग के संबंध मे पिछले दिवस की जानकारी सुबह 11 बजे मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी कों अनिवार्यतः भेजा जाए। निर्देश में कहा गया है कि जिले के डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर हेतु आबंटित रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टाक रेडक्रास स्टोर या शासकीय संस्था द्वारा संचालित जनऔषधि केन्द्रों में नही दिया जाए ताकि कोविड अस्पतालोंमें यह पर्याप्त उपलब्ध रहे।

कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट बताए जाने से युवक ने आत्महत्या कर लिया

जगदलपुर (आरएनएस)। जिला मुख्यालय के पथरागुड़ा निवासी एक युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव बताए जाने के बाद युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। जबकि युवक की कोविड रिपोर्ट जांच के बाद नेगेटिव बताई गई है।

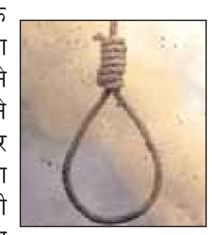

प्राप्त जानकारी के अनुसार पथरागुड़ा निवासी योगेश कुमार साहू को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव बताया गया, जिससे वह अवसाद से ग्रसित गया और अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जबकि योगेश कुमार साहू ने आरटीपीआर जांच भी कराई थी, जिसकी रिपोर्ट आने से पहले ही युवक मौत को गले लगा चुका था। कोतवाली टीआई एमन साहू ने बताया कि फौत कायम करने के बाद विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि युवक को कोरोना पॉजिटिव होना बताया गया था, जिसके बाद उसने आत्मघाती कदम उठाया, पुलिस मामले की विवेचना कर रही है।

राज्य के 58 लाख से अधिक राशन कार्ड धारी परिवारों को मिलेगा 2 माह का मुफ्त चावल

» छत्तीसगढ़ सरकार का अहम फैसला

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण उपजी विषम परिस्थिति को देखते हुए राज्य के अंत्योदय , गरीब, निराश्रित एवं प्राथमिकता श्रेणी वाले परिवारों को दो माह का चावल निशुल्क दिए जाने का ऐलान किया है। इसका लाभ राज्य के 58 लाख 29 हजार 371 राशन कार्ड धारी परिवारों को मिलेगा।

छत्तीसगढ़ सरकार मई एवं जून माह के कोटे के एवज में 3 लाख 94 हजार 136 मेट्रिक टन चावल का निशुल्क वितरण करेगी । निःशुल्क चावल वितरण पर सब्सिडी व्यय का भार प्रदेश सरकार वहन करेगी।

खाद्य विभाग द्वारा मई और जून माह के एकमुश्त निःशुल्क चावल वितरण को लेकर आज जिलों को ऑनलाइन आवंटन भी जारी कर दिया गया । राज्य में प्राथमिकता श्रेणी के राशन कार्ड धारी परिवारों की संख्या 40 लाख 67 हजार 356 , अंत्योदय के 14 लाख 6 हज़ार 490, अन्नपूर्णा के 6 हजार 86 , निराश्रित कार्ड धारियों की संख्या 38 हजार 563 और निशक्तजन कार्ड धारियों की संख्या 10 हजार 876 है। उक्त राशन कार्ड धारियों को मई एवं जून माह के कोटे का चावल राशन दुकानों से मई माह में निशुल्क प्रदाय किया जाएगा।

नक्सलियों ने मिक्सर मशीन में लगाई आग

सुकमा (आरएनएस)। कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच लॉग डाउन में भी नक्सलियों का उत्पात लगातार जारी है। जिले के ग्राम बोड़ागुड़ा के पास नक्सलियों ने निर्माण कार्य में लगी मिक्सर मशीन को देर रात्रि में वहां पंहुचकर आग के हवाले कर दिया है, मिक्सर मशीन राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में बन रहे पुलिया निर्माण में लगी हुई थी, जिसे आग के हवाले कर दिया है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं० 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कृष्ण सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुर्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य साथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूर्ध विरोध पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार-2021 : छत्तीसगढ़ को मिला 12 पुरस्कार

» प्रदेश को ई-पंचायत सहित कोंडागांव जिला पंचायत, गरियाबंद और तिल्दा जनपद पंचायत तथा 7 ग्राम पंचायतों को विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार

रायपुर (आरएनएस)। केन्द्रीय पंचायतीराज मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार-2021 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को 12 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायतीराज दिवस के मौके पर आज नई दिल्ली में आयोजित वर्चुअल समारोह में विजेता पंचायतों के खातों में पुरस्कार राशि का ऑनलाइन अंतरण किया। केन्द्रीय पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल पुरस्कार समारोह में वीडियो कॉन्फ्रें स से जुड़ें। उन्होंने पुरस्कार हासिल करने वाले सभी पंचायतों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

यह लगातार दूसरा वर्ष है जब प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर के 12 पुरस्कारों से नवाजा गया है। वर्ष 2020 में भी प्रदेश को ई-पंचायत पुरस्कार और 11 पंचायतीराज संस्थाओं को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया था। उससे पहले 2019 में भी प्रदेश की पंचायतों को 11 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए थे। पुरस्कार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री राजेश तिवारी और श्री विनोद वर्मा, सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, पंचायत एवं ग्रामाण विकास विभाग के सचिव श्री प्रसन्ना आर. और संचालक, पंचायत श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे।

इन पंचायतों को मिला पुरस्कार- प्रदेश की पंचायतों में आईसीटी के इस्तेमाल में बेहतर प्रदर्शन के लिए भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को ई-पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया। तीन अलग-अलग वर्गों में दिए जाने वाले इस पुरस्कार में छत्तीसगढ़ को प्रथम वर्ग में असम के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान मिला। वहीं केन्द्रीय पंचायतीराज मंत्रालय द्वारा कोंडागांव जिला पंचायत, गरियाबंद और तिल्दा जनपद पंचायत तथा सरगुजा जिले के अंबिकापुर विकासखंड के सरगवां और लुंड्रा विकासखंड के रिरी, बालोद जिले के गुंडरदेही विकासखंड के माहुद (अ), कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा विकासखंड के माहराटोला एवं रायपुर जिले के आरंग विकासखंड के बैहार ग्राम पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया।